

17. यह विकास अनुज्ञा शासन द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों की दृष्टि से प्रदाय की जा रही है।
18. भवन निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम बिलासपुर से प्राप्त करना आवश्यक है।
19. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 (संशोधन 2000) के नियम 78 के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
20. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 (संशोधन 2000) के नियम 79-ग के अनुसार हरित भवन के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
21. शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25% फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रयोग किया जावे।
22. इस अनुमति का यह आशय नहीं कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्धशासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
23. निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे।
24. भूमि स्वामी द्वारा शासकीय भूमि जैसे धरसा, सड़क, सार्वजनिक स्थल, खुला क्षेत्र, पार्क एवं अन्य निजी भूमि पर अतिक्रमण न किया जावे, एवं अन्य उपयोग में नहीं लिया जावे। ऐसी स्थिति में विकास अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
25. यह अनुज्ञा न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर के सीमांकन प्रतिवेदन रा.प्र.क्र. 08/अ-12/2020-21 दिनांक 20.10.2020 तथा आवेदक के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति का स्थल निरीक्षण के आधार पर दी गई है। किसी भी प्रकार की भिन्नता पर स्वयं आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा भिन्नता अथवा विवाद की स्थिति में प्रदाय की गई विकास अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
26. छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2017 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास/निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम पांच वर्षों तक हो सकेगी।
27. निर्माणाधीन भवन के चारों ओर धूल अवरोधक लगाया जाना आवश्यक होगा, जिसमें निम्नलिखित विधियां सम्मिलित होंगी-स्थल की आवश्यकता अनुसार क्लोज कर्टेन/बिन्ड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर/ बैरियर का प्रयोग, मिट्टी में नमी, वृक्षारोपण आदि।
28. रेरा के तहत पंजीयन कराने के पश्चात ही विकास एवं निर्माण कार्य किया जावे।
29. प्रश्नाधीन अभिन्यास में नियमानुसार एस.टी.पी. का प्रावधान मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
30. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2(19) एवं 2(29) के अनुसार क्रमशः आवृत क्षेत्र (कवर्ड एरिया) एवं तल क्षेत्रानुपात की गणना की जावेगी।
31. प्रश्नाधीन क्षेत्र में छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 अनुसार सोलर प्रकाश की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
32. जनापत्ति/न्यायालयीन विवाद की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
33. स्थल पर प्रस्तावित निर्माण को दर्शाते हुए मानचित्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा।
34. छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2017 की धारा 33(क) के तहत विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण एवं उपांतरण की शक्तियाँ संचालक में निहित है। अतः राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकती है तथा उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा भूमि स्वामित्व विवाद की स्थिति में इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत (रिवोक) की जा सकेगी।

संलग्न-मानचित्र की एक प्रति।

प्र.संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/
प्रतिलिपि:—

/प्र.क्र. 1249/20/न.ग्रा.नि/2021

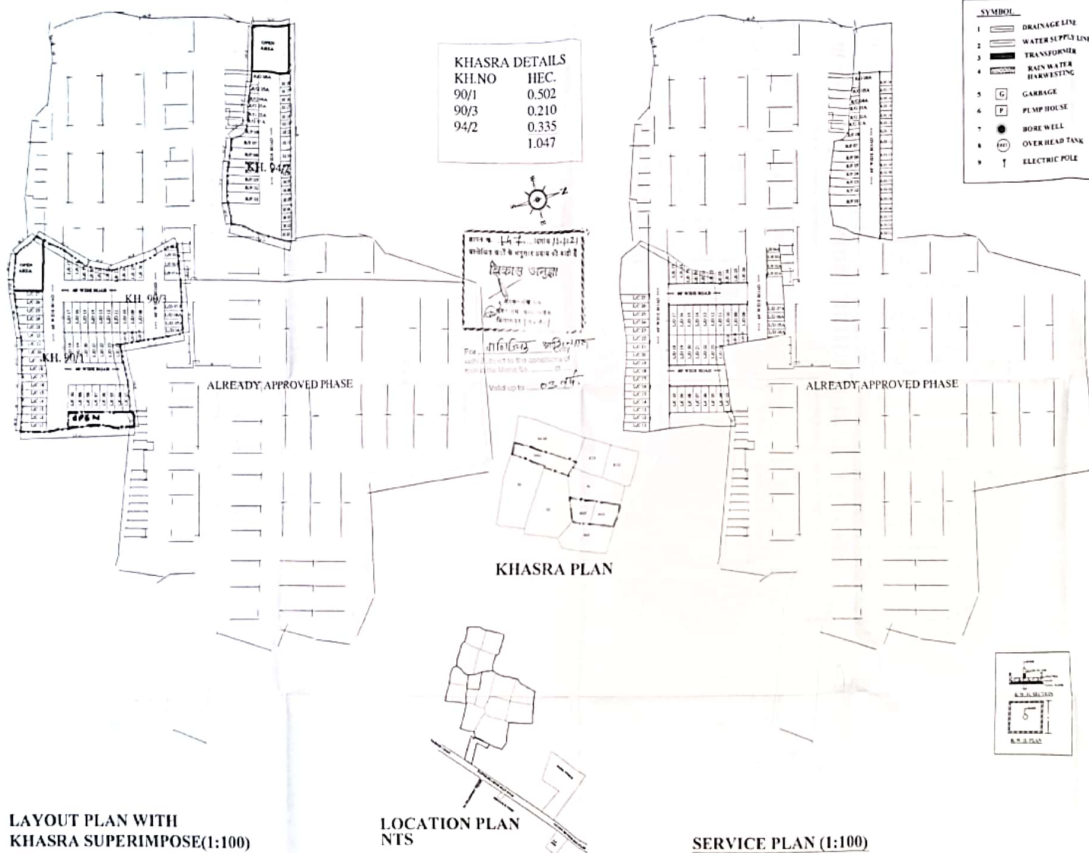
बिलासपुर दिनांक

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री छ.ग.वि.वि.कं.मर्या. बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. उप-पंजीयक, जिला बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

सहपत्र- अभिन्यास की एक प्रति।

प्र.संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बिलासपुर (छ0ग0)

BILASPUR TEXTILE MARKET PHASE II



PROPOSED COMMERCIAL LAYOUT
PLAN FOR ADJ ASSOCIATES PARTNER
BY SHEIKH AYYUB S/O SHEIKH MANNU
ON KH.NO 90/1,90/3,94/2 AT PARSADA
P.H.NO 23 BILASPUR DIST: BILASPUR CG

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA :- 112695.7 SFT (100%)
PLOTTED AREA :- 56299.50 SFT (49.95%)
10% ORGANIZED
OPEN AREA :- 11270.0 SFT (10.0%)
ROAD AREA :- 45126.2 SFT (40.05%)

LD 01 - 521.0 SFT	LD 04A - 441.0 SFT	LD 05A - 511.0 SFT	LD 06A - 641.0 SFT
LD 02 - 760.0 SFT	LD 04B - 441.0 SFT	LD 05B - 511.0 SFT	LD 06B - 641.0 SFT
LD 03 - 760.0 SFT	LD 04C - 441.0 SFT	LD 05C - 511.0 SFT	LD 06C - 641.0 SFT
LD 04 - 760.0 SFT	LD 04D - 441.0 SFT	LD 05D - 511.0 SFT	LD 06D - 641.0 SFT
LD 05 - 760.0 SFT	LD 04E - 441.0 SFT	LD 05E - 511.0 SFT	LD 06E - 641.0 SFT
LD 06 - 760.0 SFT	LD 04F - 441.0 SFT	LD 05F - 511.0 SFT	LD 06F - 641.0 SFT
LD 07 - 760.0 SFT	LD 04G - 441.0 SFT	LD 05G - 511.0 SFT	LD 06G - 641.0 SFT
LD 08 - 760.0 SFT	LD 04H - 441.0 SFT	LD 05H - 511.0 SFT	LD 06H - 641.0 SFT
LD 09 - 760.0 SFT	LD 04I - 441.0 SFT	LD 05I - 511.0 SFT	LD 06I - 641.0 SFT
LD 10 - 760.0 SFT	LD 04J - 441.0 SFT	LD 05J - 511.0 SFT	LD 06J - 641.0 SFT
LD 11 - 760.0 SFT	LD 04K - 441.0 SFT	LD 05K - 511.0 SFT	LD 06K - 641.0 SFT
LD 12 - 760.0 SFT	LD 04L - 441.0 SFT	LD 05L - 511.0 SFT	LD 06L - 641.0 SFT
LD 13 - 760.0 SFT	LD 04M - 441.0 SFT	LD 05M - 511.0 SFT	LD 06M - 641.0 SFT
LD 14 - 760.0 SFT	LD 04N - 441.0 SFT	LD 05N - 511.0 SFT	LD 06N - 641.0 SFT
LD 15 - 760.0 SFT	LD 04O - 441.0 SFT	LD 05O - 511.0 SFT	LD 06O - 641.0 SFT
LD 16 - 760.0 SFT	LD 04P - 441.0 SFT	LD 05P - 511.0 SFT	LD 06P - 641.0 SFT
LD 17 - 760.0 SFT	LD 04Q - 441.0 SFT	LD 05Q - 511.0 SFT	LD 06Q - 641.0 SFT
LD 18 - 760.0 SFT	LD 04R - 441.0 SFT	LD 05R - 511.0 SFT	LD 06R - 641.0 SFT
LD 19 - 760.0 SFT	LD 04S - 441.0 SFT	LD 05S - 511.0 SFT	LD 06S - 641.0 SFT
LD 20 - 760.0 SFT	LD 04T - 441.0 SFT	LD 05T - 511.0 SFT	LD 06T - 641.0 SFT
LD 21 - 760.0 SFT	LD 04U - 441.0 SFT	LD 05U - 511.0 SFT	LD 06U - 641.0 SFT
LD 22 - 760.0 SFT	LD 04V - 441.0 SFT	LD 05V - 511.0 SFT	LD 06V - 641.0 SFT
LD 23 - 760.0 SFT	LD 04W - 441.0 SFT	LD 05W - 511.0 SFT	LD 06W - 641.0 SFT
LD 24 - 760.0 SFT	LD 04X - 441.0 SFT	LD 05X - 511.0 SFT	LD 06X - 641.0 SFT
LD 25 - 760.0 SFT	LD 04Y - 441.0 SFT	LD 05Y - 511.0 SFT	LD 06Y - 641.0 SFT
LD 26 - 760.0 SFT	LD 04Z - 441.0 SFT	LD 05Z - 511.0 SFT	LD 06Z - 641.0 SFT

OWNS SIGN

ENGGS SIGN

ADJ ASSOCIATES